

गोवा नाइट क्लब में भीषण आग, 25 की मौत

संकरी गली में स्थित क्लब के 400 मीटर दूर तक ही पहुंच पाई दमकल गाड़ियां

पणजी, 07 दिसंबरा गोवा के उत्तरी इलाके आरपोरा में बने " बचं बाय रेमियो लेन नाइटक्लब में भीषण आग लगने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 25 हो गई है।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी पुष्टि की। उन्होंने लिखा, "आरपोरा में हुए दुखद आग हादसे पर मेरी पूरी नजर है। इस घटना में 25 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हैं। सभी घायल अभी स्थिर हैं और उन्हें बेहतर उपचार दिया जा रहा है। घटना के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गये हैं।" मरने वालों में 4 पर्यटक और 14 कर्मचारी हैं, 7 की अभी तक तक पहचान नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि आग लगने से पहले के क्षणों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे आग की लपटों ने कुछ ही सेकंडों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया जिससे क्लब के अंदर मौजूद कलाकारों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गयी थी।

वीडियो में छत से आग की लपटें निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके तुरंत बाद डांसर और अन्य कर्मचारी

- पुलिस के अनुसार सिलेण्डर फटने से आग लगी। कोई भी अग्नि सुरक्षा प्रणाली सक्रिय नहीं हुई। मरने वालों में 4 पर्यटक तथा 14 क्लब के कर्मचारी हैं, 7 मृतकों की पहचान नहीं हो सकी।

मौके से भागते नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में घुएं से पूरा स्थान भर गया। वीडियो में कोई भी अग्नि-सुरक्षा प्रणाली सक्रिय होती हुई दिखाई नहीं देती है।

पुलिस ने बताया कि यह आग सिलेंडर फटने से लगी। गोवा पुलिस नियंत्रण कक्ष को रात 12:04 बजे आपातकालीन कॉल मिली, जिसके बाद बचाव दल तुरंत मौके पर भेजे गए। पुलिस महानिदेशक ने पुष्टि की कि आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लोग भूतल पर फंस गए थे जिसके कारण अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्लब के चार मैनेजरो को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर लापरवाही और गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। क्लब के मालिक सौरभ

लूथरा पर भी एफआईआर दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने देर रात नाइटक्लब का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मरने वालों में अधिकांश लोग रसोई कर्मचारी थे, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि तीन से चार पर्यटक भी मारे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन में गंभीर खामियां सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने क्लब प्रबंधन और नियमों के उल्लंघन के बावजूद संचालन की अनुमति देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू ने गोवा मेडिकल कॉलेज के दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, "यह एक बुरी घटना है, घायलों को चिकित्सकीय मदद मिल रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी

ठीक हो जाएं।

गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "यहां जो घटना हुई वह बहुत दुखद है। ऐसी सभी जगहों पर सही तरीके से नियमों का पालन होना चाहिए। हम पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं।

एक ग्राम अधिकारी ने दावा किया कि निर्माण अनधिकृत था, लेकिन क्लब को ढ हाए जाने के नोटिस पर एक उच्च प्राधिकारी ने रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया है जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी थी।

नाइट क्लब संकरी गलियों में स्थित होने के कारण दमकल गाड़ियों के बारे में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी से बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दे रही है।"

प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दुख जताया

नयी दिल्ली, 07 दिसंबरा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा के अरपोरा में हुए भयावह अग्निकांड पर रविवार को गहरा दुख और शोक प्रकट किया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा, "उत्तरी गोवा ज़िले में आग लगने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ। इसमें कई कीमती जानें चली गईं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख जताते हुए सोशल

- गोवा अग्निकांड में मरने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री ने 2 लाख रु. की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

मीडिया पर लिखा,"गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल जल्द से जल्द ठीक हों। स्थिति के बारे में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी से बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दे रही है।"

प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"

‘पाकिस्तान एलओसी पर फिर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की तैयारी में’

बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तान कोई गलत कदम उठायेगा तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू हो जायेगा

श्रीनगर, 7 दिसंबरा। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर आतंकियों के लिए लॉन्च पैड बना लिया है। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव के अनुसार एलओसी पर 69 लॉन्च पैड पर करीब 120 आतंकवादी मौजूद हैं, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत कदम उठाया तो ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू कर दिया जाएगा।

बीएसएफ की एनुअल ब्रीफिंग में आईजी अशोक यादव ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयर फोर्स और तोपखाने की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कई लॉन्च पैड को अपने बॉर्डर में और अंदर खिसका दिया है। पाकिस्तान ने यह कदम आतंकियों के लॉन्च पैड को भारतीय सेना और बीएसएफ की फायरिंग रेंज से बाहर रखने के लिए उठाया है।

- बीएसएफ के अनुसार, पाकिस्तान ने 69 लॉच पैड सेना की फायरिंग रेंज से बाहर बनाये हैं और उन पर 120 आतंकवादी मौजूद हैं। सेना लॉच पैडों पर कड़ी नज़र रख रही है।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने बताया कि लॉन्च पैड को खिसकाने के बावजूद सेना उन पर नजर रख रही है।

आईजी अशोक यादव ने बताया कि अब घुसपैठ के प्रयासों में काफी कमी आई है। इस साल कश्मीर फ्रंटियर में 13 आतंकियों ने घुसपैठ की चार कोशिशें कीं। सेना ने आठ को मार गिराया, पांच भाग गए। उन्होंने बताया कि घुसपैठ का पैटर्न एक जैसा है, मगर हाल के दिनों में आतंकियों ने नए रूट से भी कोशिश की है। इनपुट के आधार पर सेना और बीएसएफ उन पर नजर रख रही है।

कश्मीर घाटी में बीएसएफ की

13 कंपनियां सेना और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आईजी ने आतंकवादियों की गुप्तचुप भर्ती पर चिंता जताई, जो कट्टरपंथियों के सेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंतरिक इलाकों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को अलर्ट भेजा जाता है और सुरक्षा बलों के बीच पूरी तालमेल है। उन्होंने बताया कि पहलागम हमले के बाद सैलानियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गुलमर्ग क्षेत्र में विशेष बीएसएफ टीमों को तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कठिन इलाके, बर्फ से ढ के रास्ते, पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम जैसी चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रही है।

अब हैदराबाद में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाने की घोषणा

तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष के अनुसार एक नियमित सार्वजनिक बैठक में यह निर्णय लिया गया

हैदराबाद, 7 दिसंबरा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, जिसके बाद पूरे देश में ये मुद्दा गर्मा गया है।

अब तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष मुस्ताक मलिक ने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए एक स्मारक ग्रेटर हैदराबाद में कल्याणकारी संस्थानों के साथ स्थापित किया जाएगा। मलिक ने कहा कि हैदराबाद में एक नियमित सार्वजनिक बैठक के साथ बाबरी मस्जिद के विध्वंस की कर्षणाट मनाई गई। इस दौरान ही यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी के चलते हैदराबाद स्थित मस्जिद में एक नियमित सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में हमने तय

- अध्यक्ष ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिये। इसका कोई सबूत नहीं है कि बाबर की ओर से मस्जिद के निर्माण के लिये कोई राजस्व आया हो।

किया कि तेलंगाना राज्य के ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ कल्याणकारी संस्थान भी बनाए जाएंगे। हम जल्द ही घोषणा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे और कितने समय के लिए होगा।

मलिक ने आगे कहा कि बाबर के नाम से किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए, उन्होंने दावा किया कि यह दूरा राजनीतिक प्रचार है। उन्होंने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर की तरफ से कोई राजस्व आया

था। यह संभव है कि किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम बाबर रखा गया हो, लेकिन भाजपा और आरएसएस बाबर को मुद्दा बनाना चाहते हैं। बाबर का शासनकाल बहुत छोटा था।

मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे का इस्तेमाल समुदायों को बांटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह देश को बांटने के लिए राजनीतिक दुष्प्रचार है। इससे हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलितों के बीच जो भाईचारा था, वह बिखर गया है और नफरत के बीज बोए गए हैं।

बालाघाट में 77 लाख के इनामी नक्सली ने समर्पण किया

भोपाल, 7 दिसंबरा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष बालाघाट में रविवार को 10 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने 10 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले।

हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें संविधान की प्रति प्रदान कर मुख्यधारा से जोड़ा। आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री को सौंपे। इन नक्सलियों के ऊपर 2.36 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इसमें केबी डिवीजन के एसीएम कबीर के खिलाफ 77 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों पर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक मामले की सुनवाई सोमवार को

नई दिल्ली, 7 दिसंबरा जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोमन वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सोमन वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की याचिका पर यह सुनवाई होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई है और इसे गैर-कानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और

- पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को उनकी पत्नी गीतांजलि ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर चुनौती दी है।

जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

इससे पहले 29 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अंगमो की संशोधित याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा था। हालांकि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने अंगमो द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई को टाल दिया था। सोमन वांगचुक की पत्नी की याचिका में कहा गया है, सोमन वांगचुक को पुरानी एफआईआर, अस्पष्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्रीमी लेयर पर मेरे विचारों की मेरे समुदाय ने आलोचना की थी- गवई

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने मुंबई युनिवर्सिटी में अफर्मेटिव एक्शन की भूमिका पर अपने विचार रखे

मुंबई, 7 दिसंबरा देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का समर्थन करने पर उनके ही समुदाय के लोगों ने उनकी आलोचना की। जस्टिस गवई ने कहा डॉ. आंबेडकर मानते थे कि सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिव एक्शन) ऐसा है, जैसे किसी पीछे छूटते व्यक्ति को साइकिल देना। गवई ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को फिर कभी साइकिल नहीं छोड़नी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आंबेडकर ऐसा चाहते।

जस्टिस गवई हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए हैं। जस्टिस गवई शनिवार को मुंबई यूनिवर्सिटी में, समान अवसर को बढ़ा

ावा देने में अफर्मेटिव एक्शन की भूमिका पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने डॉ. आंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आंबेडकर न केवल भारतीय संविधान बल्कि उसमें शामिल अफर्मेटिव एक्शन के भी आर्किटेक्ट थे। उन्होंने कहा, बाबासाहेब का मानना था कि जहां तक अफर्मेटिव एक्शन की बात है, यह उन लोगों को साइकिल देने जैसा है जो पीछे रह गए हैं....मान लीजिए कोई दसवें किलोमीटर पर है और कोर्स की किलोमीटर पर है, तो उसे (बाद वाले को) साइकिल दी जानी चाहिए, ताकि वह दसवें किलोमीटर तक तेजी से पहुंच सके। वहां से, वह पहले से मौजूद

- उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि अफर्मेटिव एक्शन ऐसा है, जैसा किसी पीछे छूटते व्यक्ति को साइकिल देना। ऐसे व्यक्ति को कभी साइकिल नहीं छोड़नी चाहिये, यह अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे।

व्यक्ति के बराबर आसकता है और वहां से दोनों साथ चल सकते हैं। क्या उन्होंने (अंबेडकर ने) सोचा नहीं होगा कि अब इन व्यक्तियों को साइकिल छोड़कर आगे बढ़ ना चाहिए ताकि जीरो किलोमीटर पर मौजूद अन्य लोग भी आगे आ सकें? पूर्व जस्टिस ने कहा, मेरे हिसाब से, बाबासाहेब आंबेडकर असल में सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना चाहते थे, न कि औपचारिक तौर पर। गवई ने कहा कि इंदिरा साहनी और

अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्रीमी लेयर का सिद्धांत बताया गया था, और एक दूसरे केस में, उन्होंने खुद कहा था कि क्रीमी लेयर सिद्धांत को अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के मुताबिक, जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे हैं, उन्हें अफरमेटिव एक्शन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, भले ही वे उस पिछड़े समुदाय के सदस्य हों जिसके लिए यह बनाया गया है।

गवई ने कहा कि इस फैसले के लिए उनके अपने समुदाय के लोगों ने ही उनकी बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन पर खुद आरक्षण का फायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने और फिर क्रीमी लेयर में आने वालों को बाहर करने की क्वाकालत करने का आरोप लगाया गया। लेकिन इन लोगों को यह भी नहीं पता कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के संवैधानिक पद के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है।

उन्होंने पूछा कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव के बेटे और ग्राम पंचायत स्कूल में पढ़े मजदूर के बेटे पर एक ही पैमाना लागू करने से संविधान में दी गई बराबरी की कसौटी पूरी हो सकती है?

- रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इस अभियान में 480 यूक्रेनी सैनिक मारे गये।

कराने का काम पूरा कर लिया है। रूसी सेना ने इस क्षेत्र के एक और गांव को घेर लिया है। बैटलग्रुप ने दावा किया है कि शनिवार को विभिन्न मोर्चों पर उसके अभियान में 480 यूक्रेनी सैन्यकर्मी मारे गये हैं। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, जबकि युद्ध खत्म करने के लिए शांति वार्ता तेज हो गई है, जिसमें मायामी में यूक्रेन-अमेरिका के बीच विस्तृत बातचीत भी शामिल है।

समाचार एजेंसी ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने रातभर यूक्रेनी सेना से जुड़े ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं पर हमले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)